इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015—फाल्गुन 22, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्र. एफ 1-03-बाईस-वि-5-2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 8 एवं 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग /सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	मध्यप्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) में भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			टिप्पण अभ्युक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	"8. सहायक यंत्री (सिविल)	768	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत (एक) 35 प्रतिशत पद सिविल इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों से. (दो) 10 प्रतिशत पद सिविल इन्जीनियरिंग उपाधि धारी उपयंत्रियों से. (तीन) 5 प्रतिशत पद मानचित्रकार (सिविल) से.	–	–
	9. सहायक यंत्री (सिविल)	12	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत (एक) 35 प्रतिशत पद विद्युत इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों से. (दो) 10 प्रतिशत पद विद्युत इन्जीनियरिंग उपाधि धारी उपयंत्रियों से. (तीन) 5 प्रतिशत पद मानचित्रकार (विद्युत) से.	–	–

उक्त नियमों में, विद्यमान नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

1. "8 **सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

क. **आयु.—**

(एक) न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी. आयु की संगणना विज्ञापन की तारीख से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी.

(दो) उच्चतर आयु सीमा नीचे दिये अनुसार शिथिलनीय होगी :—

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन और राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों, स्वशासी निकायों, परियोजना क्रियान्वयन समितियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(घ) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पद तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ;

(ङ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों के लिये शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :—

(एक) विधवा / निराश्रित महिला / तलाकशुदा महिला ;

(दो) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ;

(तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक ;

(चार) विक्रम पुरस्कार से पुरूस्कृत खिलाड़ी ;

(पांच) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरूस्कृत सवर्ण पति-पत्नी ;

(छह) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्ग.

टिप्पणी—(1) किसी भी प्रवर्ग के लिये समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा, किसी भी दशा में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियत 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी.

(2) उच्चतर आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11-12-1-3, दिनांक 3-11-2014 और 20-11-2012 के अनुसार होगी.

ख. **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थियों के पास अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

ग. **फीस.**—अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.".

2. विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पंचायत तथा ग्रामीण विकास/ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा.	सहायक यंत्री (सिविल)	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता. **समकक्ष योग्यता :—** ए.एम.आई.ई. (इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकता, भारत)
	सहायक यंत्री (विद्युत)	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता. **समकक्ष योग्यता :—** ए.एम.आई.ई. (इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकता, भारत).".

No. F-1-03--XXII-V-5-2015.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Rural Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-II, in column (2), for serial numbers 8 and 9 and entries relation thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of Department/ Service	Name of Posts included in the servicce	Number of Posts	Percentage of the number of the posts to be filled in the Madhya Pradesh Rural Engineering Service (Gazetted)			Note (Remark)
			By direct Recruitment [vide rule 6(a)]	By Promotion of the members of the service [vide rule 6(b)]	By temporary transfer of the members from other service [vide rule 6(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panchayat & Rural Develop-ment/Rural Engineering Service.	"8. Assistant Engineer (Civil)	768	50%	50% (i) 35% Posts from Civil Engineering Diploma holder Sub-Engineer. (ii) 10% Posts from Civil Engineering Degree holder Sub-Engineer. (iii) 5% Posts from Draughts-man (Civil).	-	-
	9. Assistant Engineer (Electrical)	12	50%	50% (i) 35% Posts from Electrical Engineering Diploma holder Sub-Engineer. (ii) 10% Posts from Electrical Engineering Degree holder Sub-Engineer. (iii) 5% Posts from Draughts-man (Electrical).	-	- .".

In the said rules, for the existing rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

1. "8. **Conditions for eligibility of direct recruitment.**—In order to be eligible for a selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

A. **Age.**—

(i) Minimum and maximum age limit shall be in accordance with the notifications issued by General Administration Department from time to time. Age shall be calculated on the first day of January of next following the date of advertisement.

(ii) The Upper age limit shall be relaxable as under:—

(a) Relaxation shall be admissible to employees of Government of Madhya Pradesh and State Corporation/Board, Autonomous Bodies, employees working in Project Implementation Committees, Contingency paid employees and Work Charged employees as per circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh:

(b) Relaxation shall be admissible to native candidates of Madhya Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per Circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh under section 9 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anushuchit Jati, Anusuchit Jan Jati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994);

(c) Relaxation shall be admissible to native Woman candidates of Madhya Pradesh as per Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) Relaxation shall be admissible to the ex-servicemen of natives of Madhya Pradesh as per rule 5 of Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985;

(e) Relaxation shall be admissible to the following classes as per circulars issued from time to time by the General Administration Department Government of Madhya Pradesh:—

(i) Widow/Destitute Woman/Divorcee Woman;

(ii) Physically Handicapped person;

(iii) Green Card Holder under Family Planning Programme;

(iv) Vikram Prize Awarded Player;

(v) Awarded Superior Caste Partner of a Couple under the Inter Caste Marriage incentive Programme;

(vi) Other Categories specified by the General Administration Department.

Note : (1) In any case, maximum age limit including all relaxations for any class shall not exceed the maximum age limit 45 years fixed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

(2) The calculation of the upper age limit shall be as per the General Administration Department's Circular No. C-3-11/12/1/3/Dated 3-11-2014 and 20-11-2012.

B. **Educational qualification.**—Candidates must possess the Educational qualifications prescribed under column (5) of Schedule III.

C. **Fee.**—Candidates Must have to pay the fees prescribed by the Commission.".

2. For the existing Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE III
(See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Service and Post (2)	Minimum age limit (3)	Upper age limit (4)	Educational Qualification (5)
Panchayat and Rural Development/Rural Engineering Service.	Assistant Engineer (Civil)	18	40	A Degree in Civil Engineering or its equivalent qualification from recognised University. **Equivalent qualification**:—A.M.I.E. (Institution of Engineers Kolkata, India).
	Assistant Engineer (Electrical)	18	40	A Degree in Electrical Engineering or its equivalent qualification from recognised University. **Equivalent qualification**:—A.M.I.E. (Institution of Engineers Kolkata, India).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-872 Jabalpur, the 12th February 2015

Amendments to be made in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008

Draft

I. Following sub-clause (cc) be inserted in the High Court of M. P. Rules, 2008 in Chapter-V (A) 1 (1) below Clause (c) to be read as Clause (cc) : *"to grant extension of time for filing pleadings / filing of return / rejoinder, provided that the Registrar shall not grant more than two extensions for the same purpose and at a time not more than 15 days time shall be given for compliance of the direction."*

II. Following amendment in the Rules are to be made,—

1. In the heading of Rule-30 of Chapter-X words Writ Petition are to be replaced by words Miscellaneous Petition.

2. In Sub-rule 3 of Rule-30 of Chapter-X words Writ Petitions are to be replaced by words Miscellaneous Petition.

3. In Format No.9 of Chapter-X, Rule-30 (1) words Writ Petitions after the Cause Title and above paragraph no.1 are be replaced by Miscellaneous Petition.

4. In Format No. 9 of Chapter-X, Rule-30 (1) words Writ Petitions in third line of paragraph No.8 are to be replaced by Miscellaneous Petition.

If a Writ Petition is filed under Article 226 and 227 of the Constitution of India, then the nomenclature "Writ Petition" Will not be changed by the Registry and it is for the Hon'ble Court to decide whether the writ petition is to be entertained under Article 226 or as Miscellaneous Petition under Article 227 of the Constitution.

III. In Rule-11 (1) of the High Court of M.P. Rules, 2008 after words "identified", and before word "or" the following words be added:—

" Or duly satisfied about the identity of the person on the basis of Photo identity proof i.e. Voter I.D. Card PAN Card, Passport, ADHAAR Card, Driving License, etc."

ONKAR NATH, Registrar (J-II)/Secretary, H.C.R.M.C.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

82, हर्षवर्धन नगर, मजार के पास, लिंक रोड नं. 2, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2015

अधिसूचना क्र. 5905.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, सायकल अनुदान योजना 2014 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है:—

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना सायकल अनुदान योजना 2014 कहलाएगी.

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं.

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **योजना का विवरण एवं पात्रता.**—निर्माण श्रमिक जो लगातार 3 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है उन्हें अपने आवास से कार्य पर उपस्थित होने हेतु एवं आवागमन के लिए मण्डल द्वारा सायकल क्रय हेतु अनुदान दिया जावेगा. अनुदान पर क्रय की गयी सायकल 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगी.

(घ) **योजना में हितलाभ.**—(i) निर्माण श्रमिक द्वारा सायकल क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 2500 जो भी कम हो, सहायता देय होगी.

(ii) उक्त अनुदान सहायता सिर्फ एक बार देय होगी.

(ङ) **पदाभिहित अधिकारी :—**

(i) **ग्रामीण क्षेत्र हेतु**—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

(ii) **शहरी क्षेत्र हेतु**—आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.

(च) **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

अधिसूचना क्र. 5905.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, ''दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना 2014'' मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है:—

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना 2014 कहलाएगी.

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं.

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **योजना का विवरण एवं पात्रता.**—1. निर्माण श्रमिक को तीन वर्ष तक सतत रूप से वैध परिचय-पत्र धारित रहने पर योजनांतर्गत अनुदान देय होगा.

2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से दो पहिया वाहन क्रय किया जाता है तो कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा रुपये 10,000, जो भी कम हो, मण्डल द्वारा अनुदान दिया जाएगा.

3. यह आवश्यक होगा कि उस निर्माण श्रमिक के नाम अन्य दो पहिया वाहन पंजीकृत न हो.

4. अनुदान पर क्रय किया गया दो पहिया वाहन 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा.

(घ) **योजना में हितलाभ का भुगतान.**—निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा. पदाभिहित अधिकारियों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना की कंडिका ग-2 के अनुरूप हितलाभ भुगतान किया जायेगा.

(ङ) **पदाभिहित अधिकारी :—**

(i) **ग्रामीण क्षेत्र हेतु**—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

(ii) **शहरी क्षेत्र हेतु**—आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.

(च) **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.